# क्षेत्रीय कार्यालय

## छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

**कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास,नमनाकला, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)**

e-mail : rocecbamk@gmail.com

क्रमांक –2029/क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2024 अंबिकापुर, दिनांकः 27/11/2024

प्रति,

सदस्य सचिव महोदय,
मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर,
जिला–रायपुर (छ.ग.)

विषय – माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल सेन्ट्रल जोनल बेंच भोपाल में विचाराधीन प्रकरण ओ0 ए0 236/2024 मनीष सिंह गहलोत एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23/10/2024 के संबंध में।

संदर्भ –01 मंडल मुख्यालय, रायपुर का कार्यालय आदेश पत्र क्र. 6820 दिनांक 29/10/2024
02 माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा गठित संयुक्त समिति का निरीक्षण दिनांक 08/11/2024

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल सेन्ट्रल जोनल बेंच भोपाल में विचाराधीन प्रकरण ओ0 ए0 236/2024 मनीष सिंह गहलोत एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23/10/2024 के परिपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा केवई नदी, (जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) का निरीक्षण दिनांक 08/11/2024 को किया गया। **पंचनामा, एक्शन टेकन रिपोर्ट** की प्रति संलग्न कर कृपया अग्र आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

**संलग्न–उपरोक्तानुसार।**

Oijaspotte
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
अंबिकापुर

क्रमांक –2030/क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2024 अंबिकापुर, दिनांकः 27/11/2024

**प्रतिलिपि**– कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

Oijaspotte
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
अंबिकापुर

o/c

# Action Taken Report

**Subject:** **Action taken report in compliance to the Hon'ble NGT Central Zonal Bench Bhopal order dated 23.10.2024 in the matter of O.A. No.- 236/2024, Manish Singh Gahlot & another Vs State of Chhattisgarh & Others.**

**Abstract:** In reference to the subject Hon'ble NGT ordered to constitute a joint committee consisting:

(i) One Representative from the Collector, District Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur, Chhattisgarh –Mr. Dayanand Tigga, Mining Officer, District Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur, Chhattisgarh.

(ii) One Representative from Chhattisgarh Environment Conservation Board, Chhattisgarh – Mr. Vijay Singh Porte, Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Ambikapur.

The committee is directed to visit the site affected area (Kewai River, District- Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur) where the issue raised regarding illegal mining storage trading and illegal transportation and submit the factual and action taken report within six week.

**Report:** As per the order, the committee visited the site (Kewai River, District- Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur) and following observation has been made:-

1. Kevai river is divided into two parts in the middle. Which forms the border of the states of Chhattisgarh and Madhya Pradesh.

2. A total of 02 sand storage are approved in the bank of Kevai River in Chhattisgarh's part. The first approved sand storage is located in Patwari Halka No. 04, Khasra Serial No. 606, 610, total area of 0.40 hectare, of Village Bichiyatola, Teh- Kelhari District- Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur. The

above mentioned sand storage (Proprietor- Mr. Vivek Kumar Tiwari) has received storage license from Mineral Department, District Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur from 16/06/2023 to 15/06/2026. Sand storage was found in additional area than the approved area. Which was found at a distance of 91 meters from the river.

The second approved sand storage is located on 0.115 hectare area of Patwari Halka No. 04, Khasra Serial No. 682 of village Bichiyatola, Teh-Kelhari District- Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur.The said sand storage (Proprietor-Mr. Vikas Pratap Singh) has received storage license from Mineral Department District Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur from 27/10/2021 to 26/10/2024. Which was found at a distance of 113 meters from the river.

3. It was told by the villagers present during the inspection that the work of storage and trading is not being done in both the above approved sand storage area for about 06 months.

4. During the inspection, no excavation of sand was found in the site of Chhattisgarh part of Kevai river.

खनि अधिकारी
**MINING OFFICER,**
**(Mr. Dayanand Tigga)**
**Mining Department,**
**Dist-MCB (C.G.)**

*Regional Officer*
*Regional Office*
*C.G. Environment Conservation Board*
*Ambikapur (C. G.)*
**REGIONAL OFFICER,**
**(Mr. Vijay Singh Porte)**
**C.G. Environment Conservation Board,**
**Ambikapur, Dist-Surguja (C.G.)**

# पंचनामा

आज दिनांक 08/11/2024 को छ०ग० पर्या० सं० मंडल पर्यावास भवन नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) के पत्र क्र 6820 दिनांक 29/10/2024 के परिपेक्ष मे पर्या०सं०मं० अम्बिकापुर के हितेश कुमार वैज्ञानिक एवं खनि अधिकारी श्री दयानंद तिग्गा एवं खनि निरीक्षक श्री आदित्य मानकर एवं टीम के द्वारा केवई नदी से अवैध उत्खनन, भण्डारण, ड्रेडिंग एवं अवैध परिवहन के संबंध मे निरीक्षण किया गया

उपरोक्त संयुक्त निरीक्षण मे पाया गया कि केवई नदी के मध्य से दो भागो मे बटा हुआ है जिसमे का एक भाग छ०ग० तथा दूसरा भाग मध्यप्रदेश का हिस्सा है केवई नदी के छ०ग० हिस्से मे ग्राम बिछियाटोला (ग्राम), तह- केल्हारी के प०ह० नं० 04 ख०नं०-606, 610 कुल रकबा-0.40 हे० पर रेत भण्डारण पाया गया, रेत भण्डारण स्वीकृत क्षेत्र से अतिरिक्त क्षेत्र मे पाया गया जो नदी से 91 मी० की दूरी पाई गई। उक्त रेत भण्डारण श्री विवेक कुमार तिवारी (प्रो०) को खनिज विभाग से भण्डारण अनुज्ञप्ति 16-06-2023 से 15-06-2026 तक प्राप्त है इस संयुक्त निरीक्षण मे केवई नदी के किनारे एक और रेत भण्डारण पाया गया जो विकाश प्रताप सिंह को खनिज विभाग से भण्डारण अनुज्ञप्ति 27/10/2024 से 26/10/2024 तक वैधता जारी कि गई इस भण्डारण का नदी से दूरी 113 मी० पाई गई, निरीक्षण दौरान ग्रामीणो द्वारा बताया गया की उपरोक्त दोनो रेत भण्डारण लगभग छः (6) माह से भण्डारण एवं ड्रेडिंग का कार्य नही किया जा रहा है।

इस निरीक्षण दौरान यह भी पाया गया कि केवई नदी के छ०ग० हिस्से वाले स्थल मे किसी भी प्रकार का उत्खनन कार्य नही पाया गया।

उक्त निरीक्षण दौरान जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण की स्थिति नहीं पाई गई. उक्त दोनो रेत भण्डारण में पर्यावरण दृष्टिकोण से स्थिति सामान्य पाई गई।

अत: यह पंचनामा पढ़कर, सुनकर हस्ताक्षर किया जा रहा है:—

[signature] 08/11/2024 [signature] 08/11/2024 [signature] 08/11/2024

(1) ओंकार तिवारी — ओंकार

(2) ओमप्रकाश त्रिपाठी विद्यालय ... — ओमप्रकाश त्रिपाठी

(3) नानबाबू

(4) पूरन

(5) रामकुमार त्रिपाठी ... [signature]

(6) धानेश्वर त्रिवेदी [signature]

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मनेन्द्रगढ़ जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर छत्तीसगढ़

## –: आदेश :–

एम.सी.बी., दिनांक 26/06/2023

कमांक/ 135 /खनिज/अस्था.रेत भण्डारण/2023, एम.सी.बी., श्री विवेक कुमार तिवारी आ0 श्री राम लखन तिवारी निवासी बिजुरी तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.) को ग्राम–बिछियाटोला ग्राम पंचायत बिछियाटोला, प0ह0नं0 00004 तहसील केल्हारी, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ0ग0) स्थित निजी भूमि (सहमति प्राप्त) ख0नं0 610, 606 रकबा कमशः 0.15 एवं 0.25 हेक्टेयर कुल रकबा 0.40 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज साधारण रेत मात्रा 5000 टन नीचे दर्शाये गये भण्डारण/बेनीफिकेशन स्थल में छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के अधीन तथा संशोधन दिनांक 24.06.2020 के तहत् खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | खनिज (खनिजों)/उत्पादों के नाम जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी जा रही है | रेत |
| 2. | भण्डारण खनिज की अधिकतम मात्रा | **5000 टन** (एक समय में) |
| 3. | भण्डारण/बेनीफिकेशन/प्रसंस्करण/क्रेशर संयंत्र स्थल की अवस्थिति :– | |
| | सीमा का विवरण :–<br>पूर्व में – ख.नं. 609    पश्चिम में – ख.नं. 603, एवं 602 का भाग<br>उत्तर में – ख.नं.605, 611    दक्षिण में – ख.नं. 602 का भाग | |
| 4. | भण्डारण अनुज्ञप्ति की अवधि | **3 वर्ष**<br>**दिनांक 16.06.2023 से 15.06.2026** |

5– अनुज्ञप्ति की शर्ते :–

(5.1) अनुज्ञप्तिधारी अनुबंधित खनिज के अलावा किसी भी अन्य खनिज का भंडारण/प्रसंस्करण स्थल पर नहीं करेगा।

(5.2) अनुज्ञप्तिधारी अनुबंधित खनिज की मात्रा से अधिक का भंडारण/प्रसंस्करण भंडारण स्थल पर नही करेगा, यदि वह अधिक मात्रा में खनिज का भंडारण /प्रसंस्करण हेतु करना चाहता है तो उसे नियम 7(3)(दो) के अनुसार अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके अनुमति प्राप्त करना होगा।

(5.3) अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप 1 में दिये गये अभिवहन पास की मूल प्रतियां जमा कर रायल्टी पेड परिवहन पास पुस्तिका की कीमत जमा कर प्राप्त करेगा।

(5.4) अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञा पत्र के निर्वधनों तथा शर्तो का सम्यक पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में एक बार में 250 टन तक भण्डारण हेतु रूपये 25,000=00 (पच्चीस हजार) की राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र की संसूचना की तारीख से सात दिवस के भीतर उसी रीति से जमा करेगा, जैसा कि नियम 7 के उपनियम (2) में विहित किया गया है।

(5.5) नियम 14 (1) के तहत अनुज्ञप्तिधरी स्वीकृत दिनांक से प्रत्येक कलेन्डर वर्ष के लिए वार्षिक शुल्क 5000=00 मात्र प्रतिवर्ष नियम 7 के उपनियम (2) में विहित रीति से जमा करना अनिवार्य होगा ।

कमशः

Scanned with OKEN Scanner

(5.6) अनुज्ञप्तिधारी, वाहन चालक को अभिवहन पास की मूल प्रति के नीचे कार्बन लगाकर लिखी गई द्वितीय प्रति जारी करेगा तथा मूल प्रति पुस्तिका में अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगा।

(5.7) खनिज परिवहन किये जा रहे वाहन को परिवहन के दौरान किसी भी स्थान पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रोके जाने पर वाहन चालक, अभिवहन पास के सत्यापन उपलब्ध करायेगा, तथा निरीक्षण में अपेक्षित सहयोग करायेगा ।

(6) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्राधिकारी को –

(क) स्टाकयार्ड पर खनिज प्रसंस्करण इकाई, यदि कोई हो, के भवन, कार्यालय या किसी संबंधित परिसर में प्रवेश तथा निरीक्षण करने के लिये अनुज्ञात करेगा।

(ख) भण्डारण स्थल पर रखे हुये खनिज/खनिज और/या उसके उत्पादों के स्टाकयार्डके सर्वेक्षण, तोलन, माप या नाप जोख करने के लिये अनुज्ञात करेगा।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी या उसका एजेंट सभी दस्तावेजों, पंजियों या अन्य सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये अथवा उनसे उद्धरण लेने या ऐसे दस्तावेजों, बुक, पंजी या अभिलेख की प्रतियां तैयार करने के लिये अनुज्ञात करेगा।

(घ) किसी खनिज/खनिजों और/या उसके उत्पादों के नमूने एकत्र करेगा।

(7) अस्थायी भण्डारण स्थल को पक्के, तार फेंसिंग या ईट की दीवार से घेरा जाना होगा।

(8) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा की सभी आवश्यक ब्यवस्था नियमानुसार करेगा। साथ ही भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रदर्शित करने हेतु बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

(9) वायु प्रदूषण अधिनियम, 1981 के तहत् अनुमति प्राप्त उपरांत अनुज्ञप्तिधारी नियमों का पालन करेगा।

(10) शासन द्वारा समय–समय पर लगाये गये समस्त कर एवं अधिभार का भुगतान करेगा।

(11) भण्डारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता, शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के भण्डारण अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जावेगा।

(12) छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के संशोधन दिनांक 24.06.2020 के अनुसार नियम 7 के तहत् "7अ (एक) जहां अनुज्ञापत्र प्रदान या नवीनीकृत किया जाता है, वहां अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने के आदेश से 90 दिवस के भीतर प्ररूप–21 में अनुज्ञापत्र विलेख निष्पादित किया जायेगा और भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16 ) के अधीन अनुज्ञा पत्र विलेख का पंजीयन किया जायेगा। यदि उक्त कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है तो अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला आदेश प्रतिसंहृत किया गया समझा जायेगा और संदत्त आवेदन शुल्क राज्य शासन को समपहृत हो जाएगा।

<u>(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)</u>

प्रभारी खनि अधिकारी
जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर
(छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

पृ0 कमांक/ /खनिज/अस्था.रेत भण्डारण/2023, एम.सी.बी., दिनांक 26/06/2023
प्रतिलिपि :- 138 - 141

1— संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म नवा रायपुर छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ ।
2— अनुविभागीय अधिकारी (रा0) केल्हारी जिला मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर छ0ग0 को सूचनार्थ ।
3— तहसीलदार, तहसील केल्हारी, जिला मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर छ0ग0 को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक जिला मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर को सूचनार्थ ।
5— सरपंच, ग्राम पंचायत बिछियाटोला, तहसील केल्हारी जिला मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर को सूचनार्थ ।
6— आवेदक श्री विवेक कुमार तिवारी, आ. श्री राम लखन तिवारी, निवासी— बिजुरी तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रभारी खनि अधिकारी
जिला मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर
(छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

(67)

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कोरिया, छत्तीसगढ

(07836–232228(कार्य.) 232228 (फेक्स) Email mo-koria@gov.in

## –: आदेश :–

बैकुन्ठपुर, दिनांक / 27 / 10 / 2021

कमांक / 1490 / खनिज / भण्डारण / 2021, कोरिया, मेंo विकास प्रताप सिंह एण्ड कंपनी, प्रोo विकास प्रताप सिंह आo श्री संजय कुमार सिंह निवासी– न्यू राजेन्द्र नगर तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर मoप्रo द्वारा ग्राम बिछियाटोला, ग्राम पंचायत केल्हारी पoहoनo 0004 तहसील मनेन्द्रगढ जिला कोरिया स्थित निजी भूमि खसरा कमांक 682 रकबा 0.870 हेंo में से 0.115 हेo क्षेत्र में खनिज रेत, मात्रा 2000 टन निजी भूमि (भू–स्वामी श्रीमती कुसुम द्विवेदी सहमति प्राप्त) क्षेत्र पर नीचे दर्शायें गये भण्डारण / बेनीफिकेशन स्थल में छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के अधीन खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | खनिज (खनिजों) / उत्पादों के नाम जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी जा रही है | रेत |
| 2. | भण्डारण खनिज की अधिकतम मात्रा | 2000 टन (एक समय में) |
| 3. | भण्डारण / बेनीफिकेशन / प्रसंस्करण / क्रेशर संयंत्र स्थल की अवस्थिति :– | |
| | सीमा का विवरण :–<br>पूर्व में – ख.नं.689, पश्चिम में – ख.नं. 681<br>उत्तर में – ख.नं. 680 दक्षिण में – ख.नं. 683 | |
| 4. | भण्डारण अनुज्ञप्ति की अवधि | 3 वर्ष |

5– अनुज्ञप्ति की शर्ते :–

(5.1) अनुज्ञप्तिधारी अनुबंधित खनिज के अलावा किसी भी अन्य खनिज का भंडारण / प्रसंस्करण स्थल पर नहीं करेगा।

(5.2) अनुज्ञप्तिधारी अनुबंधित खनिज की मात्रा से अधिक का भंडारण / प्रसंस्करण भंडारण स्थल पर नही करेगा, यदि वह अधिक मात्रा में खनिज का भंडारण / प्रसंस्करण हेतु करना चाहता है तो उसे नियम 7(3)(दो)के अनुसार अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके अनुमति प्राप्त करना होगा।

(5.3) अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप 1 में दिये गये अभिवहन पास की मूल प्रतियां जमा कर रायल्टी पेड परिवहन पास पुस्तिका की कीमत जमा कर प्राप्त करेगा।

(5.4) अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञा पत्र के निर्बधनों तथा शर्तो का सम्यक पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में एक बार में 2000 टन तक भण्डारण हेतु रूपये 50,000=00 (पंचास हजार) की राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र की संसूचना की तारीख से सात दिवस के भीतर उसी रीति से जमा करेगा, जैसा कि नियम 7 के उपनियम (2) में विहित किया गया है।

(5.5) नियम 14 (1) के तहत अनुज्ञप्तिधरी स्वीकृत दिनांक से प्रत्येग कलेन्डर वर्ष के लिए वार्षिक शुल्क 5000=00 मात्र प्रतिवर्ष नियम 7 के उपनियम (2) में विहित रीति से जमा करना अनिवार्य होगा ।

......2

Scanned with OKEN Scanner

68

(6) खनिज परिवहन किये जा रहे वाहन को परिवहन के दौरान किसी भी स्थान पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रोके जाने पर वाहन चालक, अभिवहन पास के सत्यापन उपलब्ध करायेगा, तथा निरीक्षण में अपेक्षित सहयोग करायेगा ।

(7) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्राधिकारी को –

(क) स्टाकयार्ड पर खनिज प्रसंस्करण इकाई, यदि कोई हो, के भवन, कार्यालय या किसी संबंधित परिसर में प्रवेश तथा निरीक्षण करने के लिये अनुज्ञात करेगा।

(ख) भण्डारण स्थल पर रखे हुये खनिज/खनिज और/या उसके उत्पादों के स्टाकयार्ड के सर्वेक्षण, तोलन, माप या नाप जोख करने के लिये अनुज्ञात करेगा।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी या उसका एजेंट सभी दस्तावेजों, पंजियों या अन्य सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये अथवा उनसे उद्धरण लेने या ऐसे दस्तावेजों, बुक, पंजी या अभिलेख की प्रतियां तैयार करने के लिये अनुज्ञात करेगा।

(घ) किसी खनिज/खनिजों और/या उसके उत्पादों के नमूने एकत्र करेगा।

(8) अस्थायी भण्डारण स्थल को पक्के, तार फेंसिंग या ईट की दीवार से घेरा जाना होगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा की सभी आवश्यक ब्यवस्था नियमानुसार करेगा। साथ ही भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रदर्शित करने हेतु बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

(10) वायु प्रदूषण अधिनियम, 1981 के तहत् अनुमति प्राप्त उपरांत अनुज्ञप्तिधारी नियमों का पालन करेगा।

(11) शासन द्वारा समय–समय पर लगाये गये समस्त कर एवं अधिभार का भुगतान करेगा।

(12) भण्डारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता, शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के भण्डारण अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जावेगा।

*(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)*

27/10/21
खनि अधिकारी
जिला कोरिया (छ.ग.)

पृ0 कमांक/ 1491-95 /खनिज/भण्डारण/2021, बैकुन्ठपुर, दिनांक 27/10/2021
प्रतिलिपि :–

1– संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ ।
2– तहसीलदार, तहसील मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया छ0ग0 को सूचनार्थ ।
3– खनि निरीक्षक, जिला कोरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4– सरपंच, ग्राम पंचायत केल्हारी, तह0 मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया को सूचनार्थ ।
5– आवेदक मेंं0 विकास प्रताप सिंह एण्ड कंपनी, प्रो0 विकास प्रताप सिंह आ0 श्री संजय कुमार सिंह निवासी– न्यू राजेन्द्र नगर तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

खनि अधिकारी
जिला कोरिया (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

Item No.2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**
**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**
**(Through Video Conferencing)**

**Original Application No.236/2024**

Manish Singh Gehlot & Anr. Applicant (s)

Vs.

State of Chhattisgarh & Ors. Respondent(s)

Date of Hearing: **23.10.2024**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER**
**HON'BLE DR. A SENTHIL VEL,, EXPERT MEMBER**

For Applicant (s): Mr. Dharamvir Sharma, Adv.
For Respondent(s):

**ORDER**

1. Issue raised in this application is the permission to establish stockyard/stack yard within a specified area from the river Kewai in violation of directions passed in O.A. No. 17/2019, affecting health of the river Kevai as well as leading to illegal mining, storing, trading and transportation of sand minerals in violation of environmental rules.

2. A substantial issue of environmental has been raised. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.

3. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.

4. Respondents are directed to submit their reply within six weeks through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:

   (i) One Representative from the Collector, District Manendragarh Chirmiri-Bharatpur, (C.G.)
   (ii) One Representative from the Chhattisgarh Environment Conservation Board, (C.G..)

6. The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The CECB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

7. Applicant is directed to supply the required documents and copy of the application to the committee and the respondents within a week and after compliance of service, the Applicant has to submit an affidavit that notices and copy of the application have been served upon the committee and respondents.

8. The report in the matter be filed by the Committee by email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **9th January, 2025.**

**Sheo Kumar Singh, JM**

**Dr. A Senthil Vel, EM**

23rd October 2024
O.A.No. 236/2024(CZ)
K

Mail 5:02 29 Oct

आज़ादी का अमृत महोत्सव

LiFE Lifestyle for Environment

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 6820/विधि/छ.ग.प.सं.मं./2024 अटल नगर दिनांक 29/10 /2024

## —:: कार्यालय आदेश ::—

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण OA 236/2024 *मनीष सिंह गेहलोत एवं अन्य विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एवं अन्य* में पारित आदेश दिनांक 23.10.2024 अनुसार प्रकरण में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा निम्नानुसार संयुक्त समिति का गठन किया गया है :–

1. कलेक्टर, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.) के एक प्रतिनिधि
2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के एक प्रतिनिधि

प्रकरण केवई नदी में अवैध उत्खनन, भण्डारण, ट्रेडिंग एवं अवैध परिवहन के संबंध में है। उपरोक्त आदेश के पैरा '6' *"The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The CECB will be the nodal agency for coordination and logistic support."* आदेशानुसार उपरोक्त संयुक्त समिति द्वारा ***Factual & Action Taken Report*** तैयार कर 06 सप्ताह के भीतर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करना है। उक्त प्रकरण में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल एजेंसी है। उपरोक्त कार्य हेतु छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल की ओर से श्री विजय सिंह पोर्ते, क्षेत्रीय अधिकारी, अम्बिकापुर (मो.नं. 8770867382 ई–मेल rocecbamk@gmail.com) को प्रतिनिधि नामित किया जाता है। संयुक्त समिति के अन्य प्रतिनिधियों से समन्वय कर निर्धारित समयावधि के भीतर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ई–मेल ngtczbbho-mp@gov.in में searchable PDF/OCR में रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें एवं प्रतिलिपि मण्डल मुख्यालय को भी प्रेषित करें।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

809 30/10/2024

क्रमांक 6821 /विधि/छ.ग.प.सं.मं./2024 अटल नगर दिनांक 29/10 /2024

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, स्टेट कमीशन भवन, तृतीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011 (म.प्र.) 0755-2575680 की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

कलेक्टर मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी
प्रभारी अधिकारी
शाखा का नाम खनिज विभाग
डाक क्रमांक
अधीक्षक कलेक्टर

04/11/2024

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)
# जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.)

Email id-miningmcb@gmail.com

--//आदेश//--

क्रमांक/ 1107 /खनिज/2024–25 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 04/11/2024

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) का आदेश क्रमांक 6820/विधि/छ.ग.प.सं.मं./2024 अटल नगर, दिनांक 29.10.2024 के द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण OA 336/2024 **मनीष सिंह गेहलोत एवं अन्य विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एवं अन्य** में पारित आदेश दिनांक 23.10.2024 अनुसार प्रकरण में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित संयुक्त समिति के तारतम्य में कलेक्टर, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.) की ओर से श्री दयानंद तिग्गा, खनि अधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.) (मो.नं. 8871304329 ई–मेल miningmcb@gmail.com) को प्रतिनिधि नामित किया जाता है।

कलेक्टर
जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/ 1108 /खनिज/2024–25 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 04/11/2024

प्रतिलिपिः–

- सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
- श्री दयानंद तिग्गा, खनि अधिकारी, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) का आदेश क्रमांक 6820/विधि/छ.ग.प.सं.मं./2024 अटल नगर, दिनांक 29.10.2024 के पालनार्थ।

क्र.3180
21/11/24

SE/HAEL
21/11/24

कलेक्टर
जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.)

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)
# जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.)

Email id-miningmcb@gmail.com

--//आदेश//--

क्रमांक/ 1107 /खनिज/2024–25 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 04/11/2024

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) का आदेश क्रमांक 6820/विधि/छ.ग.प.सं.मं./2024 अटल नगर, दिनांक 29.10.2024 के द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण OA 236/2024 **मनीष सिंह गेहलोत एवं अन्य विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एवं अन्य** में पारित आदेश दिनांक 23.10.2024 अनुसार प्रकरण में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित संयुक्त समिति के तारतम्य में कलेक्टर, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.) की ओर से श्री दयानंद तिग्गा, खनि अधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.) (मो.नं. 8871304329 ई–मेल miningmcb@gmail.com) को प्रतिनिधि नामित किया जाता है।

कलेक्टर
जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/ 1108 /खनिज/2024–25 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 04/11/2024

प्रतिलिपिः–

- सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
- श्री दयानंद तिग्गा, खनि अधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) का आदेश क्रमांक 6820/विधि/छ.ग.प.सं.मं./2024 अटल नगर, दिनांक 29.10.2024 के पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.)

क्र. 3180
दि. 21/11/24

SCT/NAGI
21/11/24